वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 108 /2025 *दिनांक- 22.03.2025*

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 22.03.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- मेंहनगर: डीजे की दुकान से सामान चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 06.01.25 को वादी श्री राम सर्वेश राजभर s/o रामनवल राजभर ग्राम देवरिया थाना मेहनगर जनपद आजमगढ की तहरीरी सूचना कि प्रार्थी ने देवरिया मोढ पर डीजे , इलेक्ट्रिक का दुकान किया था दि0 5-1-25 को रात मे अज्ञात लोगो ने ताला तोडकर अन्दर का दरवाजा तोडकर सारा सामान की चोरी कर ले गये प्रार्थी ने सुबह करीब 6 बजे दुकान खोलने गया तब देखा की ताला तोडकर सारा सामान चोरी हो गयी है उसके बाद प्रार्थी ने 112 पर काल करके पुलिस बुलाई पुलिस सब मौका देखकर प्राथी को थाना मेहनगर पर भेजा प्रार्थी का जो सामान चोरी हुई है वो है 4 k मशीन 8 पीस , 1600 वाट एक पीस , 1200 वाट दो पीस 4 पीस 700 वाट , 2 पीस 250 वाट ,टो पेटी सारफी लाइट , 4 स्टेपलाइजर 2 इनवाइटर और दुकान का छोटी मोटी सामान साथ मे ले गये है जिसके सम्बन्ध में मु0अ0सं0 08/25 धारा 331(4)/305 BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़ बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण

दिनांक 22.03.25 को नि0अ0 जयप्रकाश यादव हमराह उ0नि0 उमेश सिंह, कां0 हितेंद्र यादव, कां0 अभिषेक यादव तथा कां0 जमीदार विश्वकर्मा के द्वारा मु0अ0सं0 08/25 धारा 331(4)/305/317(2) BNS से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.सचिन चौहान पुत्र रामहित चौहान सा0 सौरुपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ 2.रोहित चौहान पुत्र रमेश चौहान सा0 बलरामपुर थाना कोतवाली आजमगढ़ को क्रमश उनके घर से समय 09.15 बजे व 9.55 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 08/25 धारा 331(4)/305/317(2) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 494/24 धारा 305/331(4)/112/317(2)/317(4) थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

02.थाना- मेंहनगर: गबन करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 21.12.2024 को तहरीरी सूचना पर कि वी0 पैक्स शेखूदासपुर के सचिव श्री जैइन्द्र राय पुत्र श्री उमा राय ग्राम गहुनी पो0 मेहनगर द्वारा जिला सहकारी बैंक लि0 शाखा मेहनगर से दिनांक 4-7-2024 को 6,75,387 रू0 उर्वरक व्यवसाय हेतु सी.सीएफ लोन दिया गया था जिसके सापेक्ष इफ्को से उर्वरक की अपूर्ति की गयी। सचिव द्वारा उर्वरक की विक्री कर दी गयी किन्तु उर्वरक विक्की की धनराशि डी.सी.वी मेहनगर मे जमा नही किया गया। सचिव को 25 ml डी.ए.पी. व 24 cc नैनो डी.ए.पी. आमद हुआ जिसका विक्री मूल्य 6,89,400 रू0 हुआ जिसे सचिव द्वारा अपहरण /गबन कर लिया गया है पूर्व के उर्वरक व्यवसाय की तहसील मू0 61.277 रू0 भी सचिव द्वारा जमा नही किया गया है इस प्रकार सचिव श्री जैइन्द्र राय द्वारा मू0 7,36,664 रू0 उर्वरक विक्री धन गबन/ अपहरण कर लिया गया है। उक्त धनराशि जमा करने हेतु सचिव को पर्याप्त समय एंव नोटिस दी गयी है किन्तु उनके द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा नही किया गया है। जिसके सम्बन्ध में जैइन्द्र राय पुत्र उमाराय ग्राम गहुनी पो0 मेहनगर के विरुद्ध मु0अ0सं0 530/2024 धारा 316(5) BNS थाना मेंहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 22.03.25 को नि0अ0 जयप्रकाश यादव हमराह उ0नि0 उमेश सिंह, कां0 हितेंद्र यादव, कां0 अभिषेक यादव तथा कां0 जमीदार विश्वकर्मा के द्वारा मु0अ0सं0 530/2024 धारा 316(5) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त जैइन्द्र राय पुत्र उमा राय ग्राम गहुनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के घर से समय 11.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

03.थाना सरायमीर: दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/ -

एफआईआऱ काउन्टर कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ , शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय पुलिस अधीक्षक आजमगढ क्रम सं0 06 दिनांक 16.1.24 आदेश SHO पवई मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही के लिये आदेशित किया गया। आवेदिका थाना पवई, ,जिला आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि आवेदिका की शादी दिनांक 26.05. 2024 को हुई है। शादी के लगभग 4 साल पूर्व प्रार्थिनी के मायके का पंकज पुत्र इन्द्रजीत ग्राम पचरूखवा, थाना पवई, जिला आजमगढ़ ने आवेदिका के साथ आवेदिका के इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाया तथा अश्लील वीडियो बनाया तथा आवेदिका को ब्लैकमेल करते हुए प्रार्थिनी को धमकी देने लगा कहने लगा जो मैं कह रहा हूँ वह करो नहीं तो तुम्हारा अश्लील वीडियो वायरल कर दूँगा। तथा आवेदिका को डरा धमकाकर प्रार्थिनी का शारीरिक शोषण करता रहा। आवेदिका की शादी दिनांक 26.05.2024 को ईश्वरचन्द के साथ हो गयी फिर भी पंकज आवेदिका के मोबाइल पर फोन करके आवेदिका को हैरान व परेशान करने लगा तथा आवेदिका से शारीरिक सम्बन्ध बनाने का दबाव बनाने लगा तथा धमकी दे रहा है कि तुम्हारी जिन्दगी बर्बाद कर दूँगा तथा तुम्हारी हत्या कर दूँगा। आवेदिका के दिये गये प्रा0पत्र के आधार पर थाना पवई में मु0अ0सं0 13/25 धारा 376/504/506 भादवि 67 ए आईटी एक्ट बनाम अभि0 पंकज पुत्र इन्द्रजीत सा0 पचरूखवा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 22.03.2024 प्र0नि0 श्री यादवेन्द्र पाण्डेय मय उ0नि0 अखिलेश यादव, मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 पंकज पुत्र इन्द्रजीत सा0 पचरूखवा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को मैगना बाजार से पचरूखवा गाँव जाने वाले मार्ग से समय करीब 10.10 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्त का विधिक पूर्वक चालान मा0न्यायालय किया जा रहा ।

04. थाना मुबारकपुरः दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक 09.06.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माता द्वारा स्वयं की पुत्री जो दिनांक 04.06.2024 को दिन मे 10 बजे घर से बाहर गयी और वापस नही आने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर सूचना दिया जिसके आधार पर मु0अ0सं0 227/2024 धारा 363 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी सठियांव उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त मोनू धाकड़ पुत्र स्व0 मैना धाकड़ निवासी नगला धाकरन थाना नाई की मण्डी जनपद आगरा उम्र 28 वर्ष का नाम प्रकाश मे आया अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना अन्तर्गत धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट मे प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 22.03.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह को थाना स्थानीय के गेट के पास से एक व्यक्ति मिला जो अपना नाम मोनू धाकड़ पुत्र स्व0 मैना धाकड़ निवासी नगला धाकरन थाना नाई की मण्डी जनपद आगरा उम्र 28 वर्ष को समय करीब 11.25 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

05.थाना रौनापारः अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक- 22.03.2025 को उ0नि0 श्री विवेक सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम टेकनपुर पुल से समय करीब 4.00 बजे एक नफर अभियुक्त शिवम यादव पुत्र लालधर यादव निवासी महुला डाडी थाना रौनापार आजमगढ उम्र 23 वर्ष को एक अदद देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 101/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1.	239/22	354ख ,504,506 भादवि	रौनापार	आजमगढ
2.	241/22	3/25 आर्म एक्ट	रौनापार	आजमगढ
3.	407/2023	364ए भादवि	निजामाबाद	आजमगढ
4.	410/23	307/34 भादवि व 3/25 आर्म एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
5.	150/24	2(बी)(1),3(1) गैंगेस्टर एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
6.	318/24	2(बी)(1),3(1) गैंगेस्टर एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ
7.	126/24	9/25	रौनापार	आजमगढ

06.थाना- महराजगंजः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

अवगत कराना है कि दिनांक 18.03.25 को वादिनी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि अभियुक्त 1.राजन मूसहर पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात द्वारा आवेदिका की पुत्री उम्र 17 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले गया है जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1.राजन मूसहर पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 शैलेश कुमार यादव के द्वारा की जा रही है विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी करते हुए मुकदमा उपरोक्त मे धारा 64 बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 22.03.2025 उ0नि0 शैलेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त 1.राजन पुत्र कलिन्दर उर्फ लखन्दर सा0 महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को सरदहां बाजार से समय 06.10 बजे सुबह हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर जामा तलाशी लिया गया तो कोई भी नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

07. थाना रौनापार: गोवध का वांछित टाप टेन अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक 17.03.2025 को वादी उ0नि0 श्री विवेक सिंह चौकी प्रभारी महुला थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित तहरीर (16 राशि बैल 01 राशि गाय जिन्दा व 07 राशि मृत बैल व 01 अदद ट्रक व 01 अदद मोबाईल) के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/25 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 बनाम ट्रक चालक नाम पता अज्ञात व कुछ अन्य व्यक्ति के विरुध्द पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री शिवम मिश्रा द्वारा प्रचलीत है। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त मे अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे लाया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक- 22.03.2025 को उ0नि0 श्री शिवम मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त मे वांछित अभियुक्त रामचेत निषाद पुत्र मोतीलाल निषाद निवासी भोर्रा मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को भीमबर पुलिया से बीबीपुर जाने वाले मार्ग पर बीबीपुर मोड़ पर एक अदद नाजायज देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 1.30 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामद नाजायज तमंचा व कारतूस के सम्बन्ध मे थाना स्थानी पर मु0अ0सं0 100/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग¬

1.मु0अ0सं0 94/25 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 100/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- अभि0 रामचेत निषाद उपरोक्त थाना कन्धरापुर का टाप टेन अपराधि है तथा हिट्रीसीटर भी है।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
8.	HS- 52ए गैग पंजीकरण -D-207, दि-31.10.23 186/22	3/25(1ए)आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर	आजमगढ़
9.	115/20	379/411 भादवि	कन्धरापुर	आजमगढ़
10.	337/23	60आबकारी अधि0	कोतवाली	आजमगढ़
11.	50/23	3/5ए/8गोवध नि0अधि0 व 11पशु क्रुरता नि0अधि0	कन्धरापुर	आजमगढ़
12.	06/21	379/411 भादवि	कप्तानगंज	आजमगढ़
13.	251/24	3/25आर्म्स एक्ट	कन्धरापुर	आजमगढ़
14.	06/22	60आबकारी अधि0	कन्धरापुर	आजमगढ़
15.	126/24	8/20NDPS ACT	कन्धरापुर	आजमगढ़
16.	278/23	3(1) गैंगेस्टर अधि0	कन्धरापुर	आजमगढ़
17.	174/24	380/411/427 भादवि	कन्धरापुर	आजमगढ़
18.	229/24	350(ए)/317(2)/331(4)बीएनएस	कन्धरापुर	आजमगढ़
19.	94/25	3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधि0 व 3/25आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़
20.	100/25	3/25 आर्म्स एक्ट	रौनापार	आजमगढ़

08. थाना मेंहनगर: साइबर फ्राड के 38,000 रुपया वापस कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2024 को आवेदिका गहुनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ (नाम पता परिवर्तित) के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके आवेदिका की आपत्तिजनक तस्वीर अपने पास होने की बात कहकर, सोशल मीडिया पर वायरल करने के नाम पर 03 बार में कुल 50,000 रुपये का फ्राड कर लिया। जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा साइबर हेल्प लाइन नम्बर 1930 पर काल कर NCRP पर शिकायत पंजीकृत करायी थी जिसका Ack No. 33106240078826 है। जिसमें NCRP के माध्यम से 50,000 रू0 में से 38,000 रू0 फ्राडस्टर के खाते में फ्रीज हुआ था। जो दिनांक 21.03.2025 को आवेदिका का फ्राड हुआ 38,000 रूपये वापस करा दिया गया है।

रुपया वापसी का विवरणः-

आवेदिका थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ (नाम पता परिवर्तित) के द्वारा NCRP पर शिकायत दर्ज किया गया। जिस पर साइबर सेल द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित खाते को फ्रिज कराया गया। तत्पश्चात् प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर साइबर क्राइम टीम थाना मेंहनगर SIUT तुषार त्रिपाठी व क0आ0 श्याम चन्द्र यादव द्वारा उपरोक्त फ्राड का पैसा वापस कराने हेतु आवेदिका से सम्पर्क कर फ्रीज हुए 38,000 रुपये को Refund कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए फ्राड हुये आवेदिका के 38,000 रु0 नियमानुसार आवेदिका के खाते में वापस कराया गया। आवेदिका द्वारा पैसा पाकर पुलिस को धन्यवाद दिया गया।

पैसा वापस कराने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार
2. SIUT तुषार त्रिपाठी

क0आ0 श्याम चन्द्र यादव थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़